38/102 10834 56,57,58,67

04DC 013448

TRY. LKO.
07 DEC 2004
स. को. अ./कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ

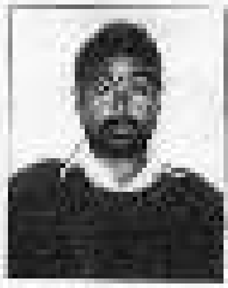

मिलन

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य : रू0 9,44,967/-
बाजारू मूल्य : रू0 4,52,700/
स्टाम्प शुल्क : रू0 95,000/
परगना : बिजनौर

यह विक्रय विलेख राम मिलन पुत्र श्री मैकू निवासी–ग्राम यूसुफ नगर उर्फ भगियामऊ, परगना –बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् क्रेता

राम मिलन

[illegible]

[illegible]

[illegible]

०१४४३०८

[illegible]

[illegible]

(प्रमाण)

[illegible]

[illegible]

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

0400 013419

T.R.Y. L.K.O.

कोषागार लखनऊ से जारी

DEC 2004

स. को. अ./कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ

पुत्र श्री रघुनाथ पासी, निवासी–254 पत्रलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ, जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि सत्यापित पचसाला खतौनी सन् 1408 से 1413 फसली के खाता खतौनी क्रम सं० 154 के खसरा संख्या–312, रकबा 0.120 हेक्टेअर, खसरा संख्या–313, रकबा 0.120 हेक्टेअर, खसरा संख्या–314, रकबा 0.080 हेक्टेअर, खसरा संख्या–353/1, रकबा 0.177 हेक्टेअर कुल 4

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

0400 013419

TRY. LKO.
कोषागार लखनऊ से प्राप्त
07 DEC 2004
उ. को. अ./कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ

पुत्र श्री रघुनाथ पासी, निवासी–254 चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ, जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि सत्यापित पंचवार्षिक खतौनी सन् 1408 से 1413 फसली के खाता खतौनी क्रम सं० 154 के खसरा संख्या–312, रकबा 0.120 हेक्टेअर, खसरा संख्या–313, रकबा 0.126 हेक्टेअर, खसरा संख्या–314, रकबा 0.080 हेक्टेअर, खसरा संख्या–353/1, रकबा 0.177 हेक्टेअर कुल 4

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES

25000

पच्चीस हजार रुपये

04DD 013420

TRY.LKO.
कोषागार लखनऊ से जारी
7 DEC 2004
उ. को. अ./कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ

किता व कुल रकबा 0.503 हेक्टेयर स्थित ग्राम यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला– लखनऊ, का मालिक, काबिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित पंचवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 154 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है, पंचवार्षिक खतौनी फसली वर्ष 1408 से 1413 के अनुसार असंक्रमणीय दर्ज है किन्तु भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष 1383 फसली है, अर्थात विक्रेता का पट्टा 10 वर्ष से अधिक पुराना है, इसलिए शासनादेश अनुसार विक्रेता को संक्रमणीय अधिकार प्राप्त हो गया

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs 10000

दस हज़ार रुपये RUPEES TEN THOUSAND

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

U544 684208

है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं रहन, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद

भारतीय गैर न्यायिक

10000रु. Rs.10000

दस हजार रुपये RUPEES TEN THOUSAND

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

05AA 684209

का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या बाधा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु० 9,44,367/– (रूपया नौ लाख चवालिस हजार तीन सौ सड़सठ मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के

हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को मालूमी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति को दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो

राम मिलन

उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगें, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम खुलुफ नगर अर्फ बगियामऊ, अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 9,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.503 हेक्टेअर की मालियत रू0 4,52,700/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 95,000/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

खसरा संख्या–312, रकबा 0.120 हेक्टेअर, खसरा संख्या–313, रकबा 0.126 हेक्टेअर, खसरा संख्या–314, रकबा 0.080 हेक्टेअर, खसरा संख्या–353/1, रकबा 0.177 हेक्टेअर कुल 4 किता व कुल रकबा 0.503 हेक्टेअर स्थित ग्राम यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला– लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्न है।

खसरा न0 312

पूरब : खसरा संख्या–
पश्चिम : खसरा संख्या–
उत्तर : खसरा संख्या–
दक्षिण : खसरा संख्या–

खसरा न0 313

पूरब : खसरा संख्या–
पश्चिम : खसरा संख्या–
उत्तर : खसरा संख्या–
दक्षिण : खसरा संख्या–

खसरा न0 314

पूरब : खसरा संख्या–
पश्चिम : खसरा संख्या–
उत्तर : खसरा संख्या–
दक्षिण : खसरा संख्या–

खसरा नं० 353/1

पूरब	: खसरा संख्या–
पश्चिम	: खसरा संख्या–
उत्तर	: खसरा संख्या–
दक्षिण	: खसरा संख्या–

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल रु० 9,44,367/– (रुपया नौ लाख चवालिस हजार तीन सौ सड़सठ मात्र) विक्रेता ने क्रेता से नगद प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

नोट : उपरोक्त सभी खसरों की चौहद्दी पेन से लिखी गयी है।

लखनऊ
दिनांक: .12.2004
गवाह

1. [illegible] — विक्रेता

2. [illegible] — क्रेता

टाईपकर्ता
(राम सनेही)

मसविदाकर्ता
(सैयद अजीज हुसैन)
एडवोकेट

2

नक्शा नजरी

ग्राम : [illegible]

खसरा नं० : 312, 313, 314, 313/1

रकबा : 0.5172 हे०

परगना : [illegible]

विक्रित सम्पत्ति के समीप स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

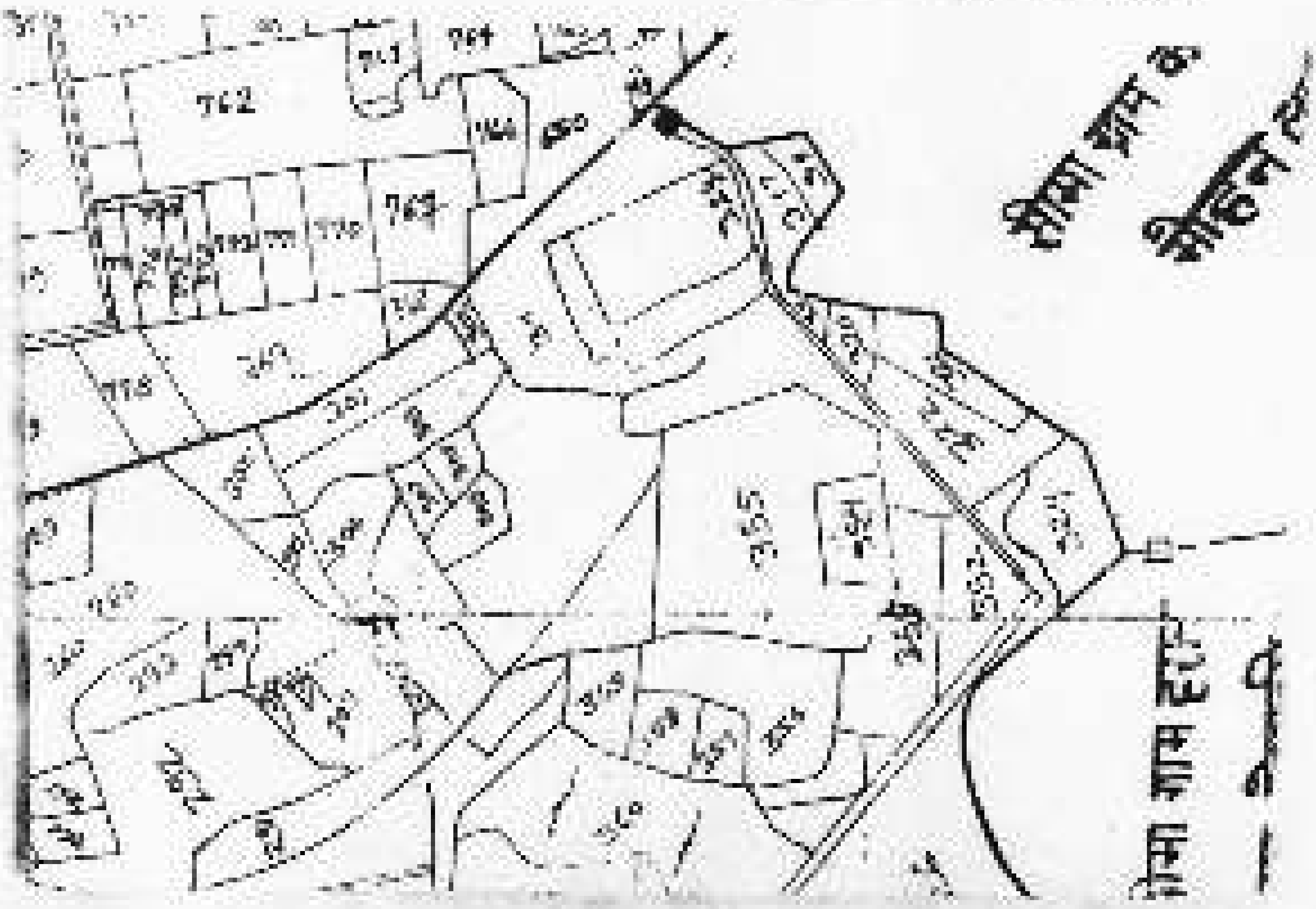

राज सिंह

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

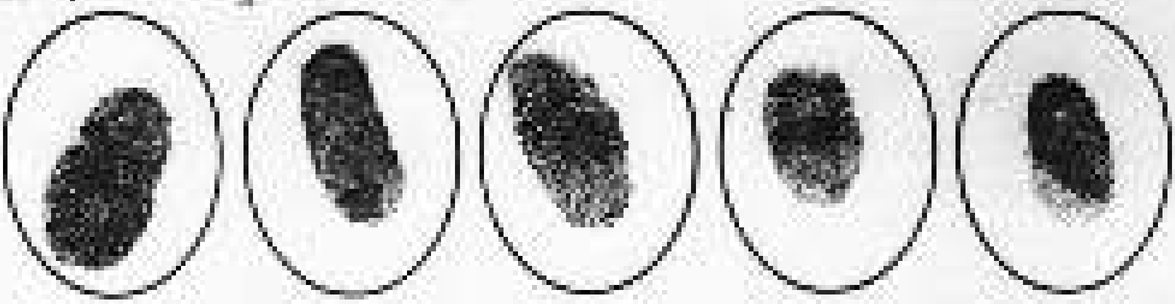

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

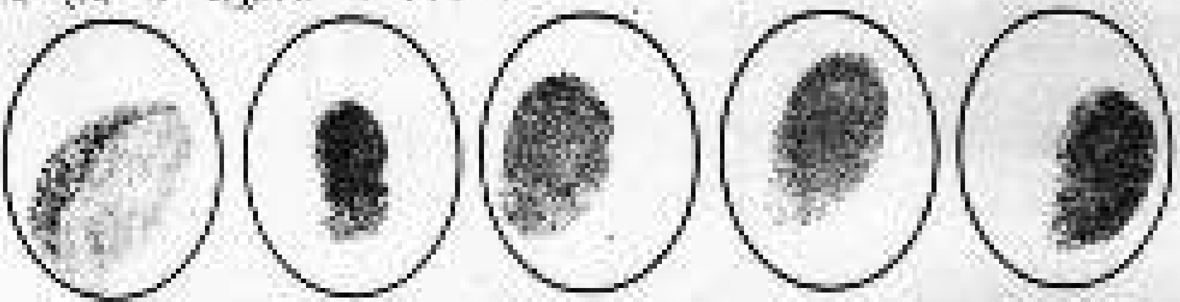

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

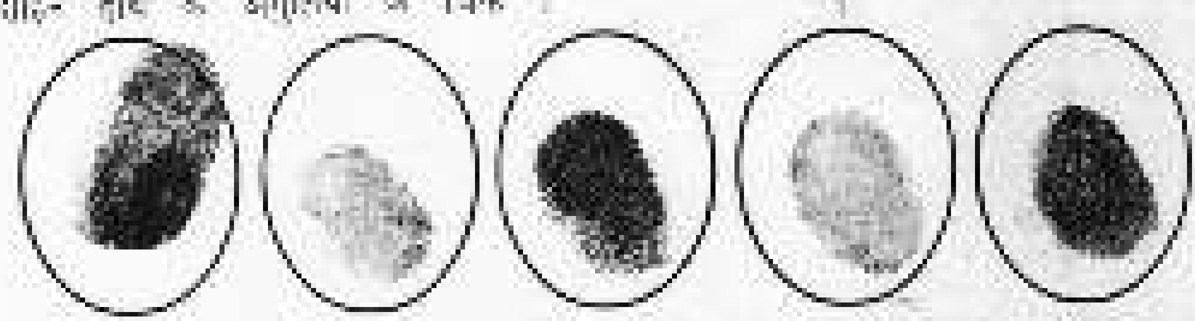

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

17/12/14
2
93/114